राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कमांकः— मुसप्र / 2017 / 1033 20 दिनांकः— 13/12/17

आदेश

डां. भीमराव अम्बेडकर योजना नागौर के 406 विभिन्न आय वर्ग के आवासों का उप आवासन आयुक्त बीकानेर एवं अति. मुख्य अभियंता द्वितीय 406 आवासों का नीलामी द्वारा निस्तारित किये जाना की अनुशंषा की है। निस्तारित किये जिने वाले आवासों का आय वर्ग अनुसार विवरण परिशिष्ठ 'अ' के निम्नानुसार हैं:—

2869 20/12/17

क्र.सं	आय वर्ग	कुल आवास
1	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	142
2	अल्प आय वर्ग	133
3	मध्यम आय वर्ग "अ"	10
4	मध्यम आय वर्ग "ब"	10
	योग	406

नीलामी के माध्यम से 406 आवासों का निस्तारण निम्न शर्तो पर किया जाना प्रस्तावित हैः—

1. आवासीय योजना में आवास / फ्लेट / आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम / अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास / फ्लेट आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास / फ्लेट / आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व / 11 / 2014—15 / 37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास / फ्लेट / आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार—प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास / फ्लेट / आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचारधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत् किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत् कोई आश्वासन / शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।"
5. आवास / फ्लेट / आवासीय भूखण्ड़ों के न्यूनतम दिड़ मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास / भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत / अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक